कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–16/2017–577 दिनांक : 20.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन,
राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 24.382 लाख (चौबीस लाख अड़तीस हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–29/2017–24/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 30.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–29/2017– 48/आ0 व0प0 दिनांक 03.06.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60 प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 24.382 लाख (चौबीस लाख अड़तीस हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	**विपत्र कोड**	**(राशि लाख में)**
मजदूरी	19S240601101600103	20.887
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	3.495
कुल :–		**24.382**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या 19S240601101600103, 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\S.O. 24 dt 30.08.2017 (3)\3rd year.doc

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

Sd/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2017–577** दिनांक–**20.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

Sd/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2017–577** दिनांक–**20.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

Sd/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

राशि (लाख में)

क्र. सं.	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			17405.66	**2912.40**	**20318.06**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेशपुर एवं, देवघर	120.00	20.887	3.495	24.382
	योग :–	**120.00**	**20.887**	**3.495**	**24.382**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2019–20 में साल के वनों में साल के सहयोगी प्रजाति के वृक्षों का शोध वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी दर : रू 249.83 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी – 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या – 1666 प्रति हेक्टेयर

(प्रजाति – हर्रे, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, सीधा आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर				योग
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)**					
1	दो कोड़नी–निकौनी,	1 हे0	41.5	10367.95	0.00	10367.95
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)	1 हे0		0.00	1892.40	1892.40
3	पौधों की सुरक्षा – 30 हे0 तक।		12.17	3040.43	0.00	3040.43
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	1 हे0	5	1249.15	0.00	1249.15
5	मृत पौधों का बदलाव।	1 हे0	5	1249.15	440.00	1689.15
6	पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	1 हे0	5	1249.15	300.00	1549.15
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	1 हे0	0	0.00	150.00	150.00
8	साईन बोर्ड का रख–रखाव आदि कार्य।	1 हे0	1	249.83	130.00	379.83
	योग :–		**69.67**	**17405.66**	**2912.40**	**20318.06**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\Rate (Research)

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-1[illegible]/20[illegible]7/577 दिनांक - 20-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	34923	DRNFWL020 SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	2,088,700.00 रुपये बीस लाख अठयासी हजार सात सौ
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	34924	DRNFWL020 SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	349,500.00 रुपये तीन लाख उनचास हजार पॉच सौ

योग: 2,438,200.00

क्रमिक योग: रुपये चौइस लाख अडतीस हजार दो सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI